

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

विषय :- मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व -104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल- 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) रुपये मात्र का आवंटन।

पटना-15, दिनांक-.....

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-157(10)रा0 दिनांक-30.05.2016 के आलोक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन पर होने वाले आकस्मिक व्यय हेतु 1301-कार्यालय व्यय मद में कुल-5,00,00,000/- (पाँच करोड़) रुपये निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है:-

क्रमांक	जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	पटना	18,87,935	18,87,935
2	नालन्दा	15,37,235	15,37,235
3	भोजपुर	13,32,660	13,32,660
4	बक्सर	8,88,440	8,88,440
5	रोहतास	14,37,870	14,37,870
6	कैमूर	8,70,905	8,70,905
7	छपरा	20,39,905	20,39,905
8	सिवान	19,40,540	19,40,540
9	गोपालगंज	13,67,730	13,67,730
10	मुजफ्फरपुर	22,50,325	22,50,325
11	वैशाली	16,83,360	16,83,360
12	सीतामढ़ी	15,95,685	15,95,685
13	शिवहर	3,09,785	3,09,785
14	मोतिहारी	24,62,615	24,62,615
15	बेतिया	20,10,680	20,10,680

16	दरभंगा	19,17,160	19,17,160
17	समस्तीपुर	22,26,945	22,26,945
18	मधुबनी	24,08,140	24,08,140
19	सहरसा	8,82,595	8,82,595
20	सुपौल	10,57,945	10,57,945
21	मधेपुरा	9,93,650	9,93,650
22	पूर्णियाँ	14,37,870	14,37,870
23	अररिया	12,74,210	12,74,210
24	किशनगंज	7,36,470	7,36,470
25	कटिहार	14,20,335	14,20,335
26	गया	19,40,540	19,40,540
27	जहानाबाद	5,43,585	5,43,585
28	नवादा	10,75,480	10,75,480
29	औरंगाबाद	11,86,535	11,86,535
30	अरवल	3,79,925	3,79,925
31	मुंगेर	5,90,345	5,90,345
32	लखीसराय	4,67,600	4,67,600
33	शेखपुरा	3,62,390	3,62,390
34	जमुई	8,94,285	8,94,285
35	खगड़िया	7,54,005	7,54,005
36	बेगुसराय	13,38,505	13,38,505
37	भागलपुर	14,14,490	14,14,490
38	बाँका	10,81,325	10,81,325
	कुल	5,00,00,000	5,00,00,000

(पाँच करोड) रूपये मात्र।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायेगी एवं राशि का व्यय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों हेतु कार्यालय व्यय के कार्यों पर किया जायेगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि०/2 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

5. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा0, पटना- 15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा0, पटना- 15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग(बजट) बिहार, पटना/ सभी कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा0, पटना- 15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 11(5)...../रा0, पटना-15, दिनांक- 06.06.16.....
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।